राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3382/2015

मंडल दत्त शर्मा

----याचिकाकर्ता

बनाम

राज्य और अन्य

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए : श्री सुनील पुरोहित
प्रतिवादी(ओं) के लिए : श्री राजेश उपनिया

माननीय श्रीमान. जस्टिस अरुण मोंगा

निर्णय (मौखिक)

10/12/2024

1. यहाँ याचिका है *अन्य बातों के साथ* गुड़गांव के मेदांता मेडिसिटी अस्पताल में इलाज के दौरान याचिका कर्ता द्वारा किए गए वास्तविक चिकित्सा व्यय की शेष राशि को देय तिथि से भुगतान की तिथि तक 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित जारी करने के लिए प्रति वादियों को उचित निर्देश देने की मांग की गई है।

2. संक्षेप में, मामले के प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि याचिका कर्ता 31.08.2012 को उप-पंजीयक के पद से सेवानिवृत्त हुए।

2.1. सितंबर, 2012 में, जब याचिका कर्ता दिल्ली में थे, तो उन्हें चक्कर आने और उल्टी होने लगी। उन्हें तुरंत मेदांता मेडिसिटी अस्पताल, गुड़गांव ले जाया गया, जहाँ 21.09.2012 को उन्हें पिट्यूटरी मैक्रोक्वाडेनोमा रोग का पता चला। सलाह के अनुसार, आपातकालीन स्थिति में,

(30/05/2025 को सुबह 08:37:01 बजे डाउनलोड किया गया)

याचिका कर्ता का 22.09.2012 को मेदांता मेडिसिटी अस्पताल, गुडगांव में ऑपरेशन किया गया। अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान याचिका कर्ता के इलाज पर 2,74,000/- रुपये खर्च हुए।

2.2. जब उन्होंने अपने मेडिकल बिलों की प्रति पूर्ति मांगी, तो याचिका कर्ता को 27.01.2014 को मात्र ₹51,537/- का चेक दिया गया। याचिका कर्ता ने 03.04.2014 को अपने वकील के माध्यम से न्याय की माँग हेतु एक नोटिस जारी किया, जिसमें सरकारी नियमों के अनुसार शेष ₹ 2,23,000/- की माँग की गई, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। इसलिए, यह रिट याचिका दायर की गई है।

3. प्रति वादियों द्वारा अपने उत्तर में दिया गया बचाव यह है कि:

3.1. वित्त विभाग के दिनांक 21.05.2009 के परिपत्र, राजस्थान राज्य पेंशनभोगी चिकित्सा रियायत योजना, 2009 और राजस्थान राज्य पेंशनभोगी चिकित्सा रियायत योजना, 2009 के नियम 4 के अनुसार, याचिका कर्ता को चेक संख्या 393953 दिनांक 27.01.2014 के माध्यम से 51,537/- रुपये का भुगतान किया गया था। अतः, रिट याचिका गुण-दोष के कारण खारिज किए जाने योग्य है।

4. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और केस फाइल का अवलोकन किया है।

5. जो बात सामने आई है वह यह है कि याचिका कर्ता मस्तिष्क में पिट्यूटरी मैक्रोक्वाडेनोमेन नामक एक अजीबोगरीब बीमारी से पीड़ित था और अत्यधिक आपात स्थिति के कारण उसे गुड़गांव के एक निजी अस्पताल मेदांता मेडिसिटी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसका इलाज चला और ठीक होने के बाद उसने अपने मेडिकल बिल जमा कर दिए। उसके बिल इस तर्क पर खारिज कर दिए गए कि चूँकि उसने सक्षम प्राधिकारी से पूर्वानुमति नहीं ली थी, इसलिए उसे

(30/05/2025 को सुबह 08:37:01 बजे डाउनलोड किया गया)

उसके इलाज के लिए निर्धारित ऊपरी सीमा के अनुसार, केवल 51,537 रुपये के मेडिकल बिल का एक हिस्सा ही दिया गया।

6. इस संबंध में, इसी प्रकार की स्थिति में मेरे द्वारा दिए गए निर्णय का संदर्भ लिया जा सकता है।***केसरा राम बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य: एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 9571/ 2008,*** 23.02.2024 को निर्णय लिया गया। तत्काल संदर्भ के लिए, यदि प्रासंगिक हो तो नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:-

> *"8. अब इस न्यायालय में दायर जवाब में दिए गए बचाव पक्ष की ओर ध्यान दें, तो यह स्पष्ट है कि इसमें याचिका कर्ता के निजी अस्पताल में इलाज के लिए प्रति पूर्तिपाने का अधिकार न होने के संबंध में कोई स्पष्ट रुख नहीं अपनाया गया है। हालाँकि, सीएमएचओ का दिनांक 19.02.2008 का विवादित नोट/आदेश, जिसे अन्य बातों के साथ-साथ यहाँ चुनौती दी गई है, स्पष्ट रूप से कहता है कि उसके दावे को निजी इलाज के कारण खारिज किया गया है।*
>
> *9. यह उल्लेखनीय है कि याचिका कर्ता ने याचिका के पैराग्राफ 4 में 12.08.2007 से 16.08.2007 तक सोनी अस्पताल, जयपुर में उपचार कराने की पुष्टि की है, जिसमें प्राथमिक एंजियोप्लास्टी और एलएडी में स्टेंटिंग और बाद में एनजाइना के बने रहने के कारण पीटीसीए + आरसीए में स्टेंटिंग शामिल है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि मेडिकल बिल याचिका के साथ अनुबंध 4 के रूप में संलग्न हैं। उत्तर के संगत पैराग्राफ में, केवल एक स्पष्ट दावे के अलावा कि याचिका कर्ता ने बिल जमा नहीं किए, याचिका के पैराग्राफ - 4 की सामग्री पर विवाद नहीं किया गया है। इस प्रकार, उत्तर में लिए गए रुख को देखते हुए, याचिका एक निजी अस्पताल में प्राप्त उपचार के लिए प्रति पूर्तिकी मांग करने की सीमा तक स्वीकृति के योग्य है।*
>
> *10. विदा लेते समय, मैं यह जोड़ना चाहूंगा कि विशेष रूप से सुरजीत सिंह (सुप्रा) में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का संदर्भ लिया जा सकता है, और जैसा कि याचिका कर्ता के विद्वान वकील ने*

(30/05/2025 को सुबह 08:37:01 बजे डाउनलोड किया गया)

आत्मरक्षा के अधिकार के संदर्भ में सही ही भरोसा किया है, जो एक मौलिक अधिकार है। याचिका कर्ता का मामला उसमें दिए गए अनुपात द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया है। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, कानून में यह स्थापित स्थिति है कि आपात स्थिति में चिकित्सा उपचार द्वारा स्वास्थ्य और आत्मरक्षा का अधिकार जीवन के अधिकार के समान है, जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित है। यह अधिकार मौलिक, पवित्र, अनमोल और अलंघनीय है। राज्य के कर्मचारियों को आपात स्थिति में जीवन के लिए खतरा होने पर अपने जीवन की रक्षा के लिए कदम उठाने का अधिकार है। तदनुसार, इस मामले के तथ्यों को देखते हुए, याचिका कर्ता को अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाने का अधिकार था, जिसमें पूर्व अनुमति की प्रतीक्षा किए बिना आपातकालीन चिकित्सा उपचार प्राप्त करना और/या संबंधित समय पर जीवन को स्पष्ट खतरे के मद्देनजर, किसी निजी अस्पताल, जैसे कि सोनी अस्पताल, जयपुर, में जाने के बजाय किसी सरकारी अस्पताल या अधिकृत अस्पताल में अपनी बारी का इंतजार करना शामिल था। परिणामस्वरूप, मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि याचिका कर्ता को उसके चिकित्सा बिलों की प्रति पूर्तिका लाभ क्यों न दिया जाए।

7. उपरोक्त निर्णय की प्रयोज्यता के अलावा, याचिका कर्ता का मामला राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1970 (संक्षेप में, '1970 के नियम') के आलोक में और भी बेहतर स्थिति में है। 1970 के नियमों के नियम 7 का संदर्भ लिया जा सकता है, जो इस प्रकार है:-

*"7.**किसी ऐसी बीमारी का उपचार जिसका उपचार राज्य में उपलब्ध नहीं है।**-*

(1) कोई सरकारी कर्मचारी और उसके परिवार के सदस्य, जो किसी ऐसे रोग से पीड़ित हैं जिसका उपचार राज्य के किसी सरकारी अस्पताल में उपलब्ध नहीं है, वे इस नियम के उपनियम (2) में दर्शाई गई सीमा तक राज्य के बाहर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अस्पताल/संस्था में चिकित्सा परिचर्या और उपचार के हकदार होंगे।बशर्ते कि यह द्वारा प्रमाणित हो किसी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

(30/05/2025 को सुबह 08:37:01 बजे डाउनलोड किया गया)

सेवाओं के निदेशक द्वारा अधिकृत चिकित्सा परिचारक की इस राय के आधार पर कि रोगी जिस विशेष रोग से पीड़ित है उसका उपचार राज्य के किसी भी सरकारी अस्पताल में उपलब्ध नहीं है और रोगी के स्वास्थ्य लाभ के लिए राज्य के बाहर किसी अस्पताल में उपचार कराना अत्यंत आवश्यक माना जाता है।

(2) निम्नलिखित शुल्क/व्यय प्रति पूर्तियोग्य होंगे:-

(क) इन नियमों के तहत प्रति पूर्तियोग्य एलोपैथिक दवाओं, औषधियों, टीकों, सीरम या अन्य चिकित्सीय पदार्थों की लागत (बिक्री कर सहित)।

(ख) शल्यक्रिया और साधारण नर्सिंग सुविधा के शुल्क सहित चिकित्सा देखभाल और उपचार के लिए अस्पताल/संस्थान को वास्तव में भुगतान की गई राशि।

(ग) जिस स्टेशन पर मरीज़ बीमार पड़ता है, वहाँ से राज्य के बाहर उपचार स्थल तक रेल/सड़क मार्ग से यात्रा और वापसी के लिए यात्रा भत्ता, राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के तहत उसके वर्गीकरण के अनुसार उसे जिस श्रेणी का अधिकार है, उसी श्रेणी के एकल किराए में। ऐसा यात्रा भत्ता परिचारक के लिए भी देय होगा, यदि प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक लिखित रूप में प्रमाणित करता है कि मरीज़ के लिए बिना देखभाल के यात्रा करना असुरक्षित है और मरीज़ के साथ उपचार स्थल तक और वापस आने के लिए एक परिचारक आवश्यक है।

(3) उप-नियम (1) में उल्लिखित प्रकार के मामलों में चिकित्सा देखभाल और उपचार की सुविधा परिशिष्ट 11 में उल्लिखित किसी भी अस्पताल/संस्थान में उपलब्ध होगी।

(4) प्रति पूर्तिके प्रयोजन के लिए, ऐसे अस्पताल/संस्थानों द्वारा जारी मूल रसीदें और दवाओं आदि के वाउचर सरकारी अस्पताल के प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किए जाएंगे, जिनकी सलाह पर राज्य के बाहर उपचार किया गया था।

(जोर दिया गया)

8. उपरोक्त नियम के अवलोकन से इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता कि याचिका कर्ता किसी भी स्थिति में राजस्थान राज्य के बाहर उपचार कराने का हकदार है। अभिलेखों से यह

(30/05/2025 को सुबह 08:37:01 बजे डाउनलोड किया गया)

स्पष्ट होता है कि प्रासंगिक तथ्यों के संबंध में कोई विवाद नहीं है कि यह एक आपातकालीन स्थिति थी जिसके तहत याचिका कर्ता को दिल्ली के एक अस्पताल में ले जाया गया था।

9. उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, मुझे याचिका कर्ता के दावे को अस्वीकार करने का कोई वैध कारण या औचित्य नहीं दिखता। तदनुसार, याचिका स्वीकार की जाती है। अतः प्रति वादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिका के अनुलग्नक-3 में दिए गए चिकित्सा बिलों का सत्यापन करें और इस आदेश के वेब-प्रिंट प्राप्त होने की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर लागू सेवा नियमों के अनुसार प्रति पूर्तिहेतु आगे की आवश्यक कार्यवाही करें। सेवा नियमों के तहत देय ब्याज सहित देय भुगतान, याचिका कर्ता को देय तिथि से वापस किया जाए।

10. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया गया है।

(अरुण मोंगा), जे

232-एके चौहान/-

रिपोर्टिंग के लिए उपयुक्त है या नहीं : हाँ / नहीं

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाशा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निश्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"

Tarun Mehra

Advocate

(30/05/2025 को सुबह 08:37:01 बजे डाउनलोड किया गया)